# लोक सभा

-----------

## कार्य-सूची

**सोमवार, 20 मार्च, 2023/ 29 फाल्गुन, 1944 (शक)**

--------

**पूर्वाह्न 11 बजे**

-------

**प्रश्न**

1. **अलग** सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे।

--------

**सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र**

निम्नलिखित मंत्री सभा पटल पर पत्र रखेंगे:-

2. **श्री राव इंद्रजीत सिंह** कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए;

3. **श्री श्रीपाद येसो नाईक** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के लिए;

4. **श्री अर्जुन राम मेघवाल** संस्कृति मंत्रालय के लिए;

5. **जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह** नागर विमानन मंत्रालय के लिए;

6. **श्री कृष्ण पाल** विद्युत मंत्रालय के लिए;

7. **श्री पंकज चौधरी** वित्त मंत्रालय के लिए;

8. **प्रो. एस.पी. सिंह बघेल** विधि और न्याय मंत्रालय के लिए;

9. **श्रीमती रेणुका सिंह सरुता** जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए;

10. **श्री रामेश्वर तेली** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए;

11. **श्रीमती अन्नपुर्णा देवी** शिक्षा मंत्रालय के लिए;

12. **श्री कौशल किशोर** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए;

13. **श्री अजय भट्ट** रक्षा मंत्रालय के लिए;

14. **श्री भगवंत खुबा** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए;

15. **डॉ. सुभाष सरकार** शिक्षा मंत्रालय के लिए;

16. **डॉ. भागवत किशनराव कराड़** वित्त मंत्रालय के लिए;

17. **डॉ. भारती प्रवीण पवार** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए;

18. **श्री बिश्वेश्वर टुडु** जल शक्ति मंत्रालय के लिए; और

19. **डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई** आयुष मंत्रालय के लिए।

*(अलग सूची में मुद्रित)*

----------

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

20. **श्री संतोष कुमार गंगवार**

**श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू** 'वर्ष 2020 के प्रतिवेदन संख्यांक 18 के सीएण्डएजी लेखापरीक्षा पैरा सं. 5.1 के आधार पर इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित सड़क परियोजनाओं को दिए गए ऋणों की समीक्षा' विषय के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगे।

-----

**जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन**

21. **श्री पी.पी. चौधरी**

**श्री रतन लाल कटारिया** जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगे।

-----

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण

**22. डॉ. किरिट पी. सोलंकी**

**श्री छेदी पासवान** 'नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन' विषय के बारे में गृह मंत्रालय से संबंधित पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

-----

## आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

**23. श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह**

**श्री हसनैन मसूदी** आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगे:-

(1) 'प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन' विषय संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

--------

## जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

**24. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल**

**श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल** जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगे:-

(1) जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

(2) जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की ‘अनुदानों की मांगों (2023-24)’ संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

(3) ‘भू-जल: एक बहुमूल्य किंतु घटता संसाधन’ विषय पर 22वां प्रतिवेदन।

--------

**गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

**25. श्री विष्णु दयाल राम**

**श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी** गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) 'गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 242वां प्रतिवेदन।

(2) 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी 243वां प्रतिवेदन।

(3) 'पुलिस-प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और सुधार' के बारे में 237वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 244वां प्रतिवेदन।

----------

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

**26. डॉ. ढाल सिंह बिसेन**

**श्री राम शिरोमणि वर्मा** विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 373वां प्रतिवेदन।

(2) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 374वां प्रतिवेदन।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 375वां प्रतिवेदन।

(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 376वां प्रतिवेदन।

(5) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 377वां प्रतिवेदन।

(6) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 378वां प्रतिवेदन।

(7) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-2024) संबंधी 379वां प्रतिवेदन।

------

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

**27. डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव**

**डॉ. संघमित्रा मौर्य** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे/रखेंगी:-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2023-24 (मांग संख्या 46) के बारे में समिति का 143वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2023-24 (मांग संख्या 47) के बारे में समिति का 144वां प्रतिवेदन।

(3) आयुष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2023-24 (मांग संख्या 4) के बारे में समिति का 145वां प्रतिवेदन।

**------**

## कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

**28. श्री सुरेश कुमार पुजारी**

**श्री रघु राम कृष्ण राजू कानुमुरु** कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 126वां प्रतिवेदन।

(2) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 127वां प्रतिवेदन।

(3) न्याय विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 128वां प्रतिवेदन।

(4) विधि कार्य विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 129वां प्रतिवेदन।

(5) विधायी विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 130वां प्रतिवेदन।

-------

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

**29. डॉ. भागवत कराड़** (एक) 'ऋणों का एकीकरण' के बारे में श्री मणिक्कम टैगोर, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5085 के 04.04.2022 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण बताते हुए एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) देंगे।

-------

## संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

**30. श्री अर्जुन राम मेघवाल** 20 मार्च, 2023 से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

---------

**31. नियम 377 के अधीन मामले।**

------

**जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का बजट**

*__32. वर्ष 2023-24__ के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा।

-------

*__33. वित्तीय वर्ष 2023-24__ के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान *(अलग सूची में मुद्रित)*।

-------

**अनुदानों की अनुपूरक मांगें**

**(जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र)**

*__34. वित्तीय वर्ष 2022-23__ के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा मतदान *(अलग सूची में मुद्रित)*।

-------

**अनुदानों की अनुपूरक मांगें**

*__35. वर्ष 2022-23__ के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - दूसरा बैच पर चर्चा तथा मतदान *(अलग सूची में मुद्रित)*।

-------

---

***मद सं. 32 से 35 एक साथ ली जाएंगी।**

**विधायी कार्य**

***<u>विधेयकों की संभाव्य सूचनाएं</u>***

*<u>(एक) पुर:स्थापित,विचार तथा पारित किए जाने के लिए</u>*

*<u>जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक</u>*

*<u>@जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023</u>*

**36. श्रीमती निर्मला सीतारमण** प्रस्ताव करेंगी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**विधेयक** पुर:स्थापित भी करेंगी।

**37. श्रीमती निर्मला सीतारमण** प्रस्ताव करेंगी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

**यह** प्रस्ताव भी करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए।

-------

**@वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगों (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) के स्वीकृत होने पर लिया जाएगा।**

**38. श्रीमती निर्मला सीतारमण** प्रस्ताव करेंगी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*#जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023*

**विधेयक** पुर:स्थापित भी करेंगी।

**39. श्रीमती निर्मला सीतारमण** प्रस्ताव करेंगी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

**यह** प्रस्ताव भी करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए।

-------

**#वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) के स्वीकृत होने पर लिया जाएगा।**

*<u>(दो) पुर:स्थापित,विचार तथा पारित किए जाने के लिए विनियोग विधेयक</u>*

**40. श्रीमती निर्मला सीतारमण** प्रस्ताव करेंगी कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**विधेयक** पुर:स्थापित भी करेंगी।

*<u>$विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023</u>*

**41. श्रीमती निर्मला सीतारमण** प्रस्ताव करेंगी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

**यह** प्रस्ताव भी करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए।

-------

**केंद्रीय बजट**

*(दूसरा प्रक्रम)*

**42.** **वर्ष 2023-24** के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान *<u>(अलग सूची में मुद्रित)</u>*।

*<u>(अलग सूचियों में मुद्रित कटौती प्रस्ताव पेश किए जाएंगे)</u>*

-------

**$वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के स्वीकृत होने पर लिया जाएगा।**

**43.** **वर्ष 2023-24** के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान *(अलग सूची में मुद्रित)*।

*(अलग सूची में मुद्रित कटौती प्रस्ताव पेश किए जाएंगे)*

**नई दिल्ली;**
**17 मार्च, 2023**
**26 फाल्गुन, 1944 (शक)**

**उत्पल कुमार सिंह**
**महासचिव**